अध्याय-6
फीड - बैक सेवा

फीड बैक रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा है । हमारी इकाइयां देश के कोने - कोने में फैली हुयी है तथा ये आम लोगों के लिए तथा लोगो के साथ मिल-जुलकर आमने - समाने कार्य करती है, अतः हम अपनी इकइयों के द्वारा विकासशील कार्यक्रमों/सरकार के कार्यों के संबंध में बहुत अच्छी तरह से लोगों की समझ का अन्दाज लगा लेते हैं जितना कि कोई अन्य माध्यम एकक नहीं कर सकता । इस तरह के फायदे के कारण क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को सरकार का आंख-कान कहना उपयुक्त होगा ।

फीड-बैक सेवा की नियमित ढंग से शुरूआत 1965 में हुयी । प्रभावी संचार रणनीति के रूप में क्षेत्रीय संचारकों को सरकार के संदेशों तथा कल्याणकारी योजनाओं को प्रसारित करने के साथ-साथ उस विषय पर दर्शकों की प्रतिक्रिया तथा उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है ताकि वे दर्शकों को स्पष्ट जानकारी दे सकें तथा निर्णय लेने वाले और कार्यक्रम बनाने वालों को जनता की प्रतिक्रियाओं से अवगत करा सकें । इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां सरकार के लिए जन प्रतिक्रियाओं, सफलता की कहानियों तथा स्थानीय रिपोर्टों को एकत्रित कर फीड बैक प्रस्तुत करती हैं तथा इस प्रकार वे सरकार तथा जनता के बीच प्रभावशाली ढंग से दो - तरफा संचार माध्यम के रूप में कार्य करती हैं ।

मुख्य संघटक

जनप्रतिक्रिया प्रतिवेदन -

वास्तव में जनप्रतिक्रिया प्रतिवेदन विभिन्न सरकारी विषयों पर जनता अर्थात आम व्यक्तियों, जनमत निर्माताओं, ग्राम प्रमुखों तथा सामुदायिक नेताओं की संवेदनशील प्रतिक्रिया होती है जिसे क्षेत्रीय अधिकारी समाज के साथ पारस्परिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान प्राप्त करते हैं । जनप्रतिक्रया रिपोर्ट एकत्रित करते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि जनता से सीधे प्रश्न करके उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने से बचा जाए । इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जनप्रतिक्रिया में राजनैतिक नेताओं के व्यक्तिगत अथवा प्रतिविम्बित मत न शामिल होने पाये बल्कि वह मत समाज के एक बड़े वर्ग का होना चाहिए । प्रायः प्रतिक्रिया रिपोर्ट संक्षिप्त, स्पष्ट

तथा तथ्यगत होनी चाहिए, न कि अफवाहों तथा सुनी-सुनायी बातों पर आधारित होनी चाहिए । यह रिपोर्ट स्थान, नाम तथा अन्य मुख्य आंकड़ों, जैसे जिन व्यक्तियों से रिपोर्ट ली जाती हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा उनके व्यवसाय और पेशा का भी जिक्र होना चाहिए । जनप्रतिक्रिया रिपोर्ट भेजते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय पर जनप्रतिक्रिया लिखी जा रही है उस विषय के गुण तथा तथ्य सबसे महत्वपूर्ण हो, न कि संख्या आदि के लिए लिखा जाना चाहिए ।

मीडिया प्रभाव प्रतिवेदनः इस प्रतिवेदन में दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रचार सामग्री के गुणवत्ता तथा पहुंच के प्रति उनकी स्पष्ट प्रतिक्रिया, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, शामिल होती है । इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि फिल्मों अथवा जीवंत गीत एवं नाटक कार्यक्रम अथवा प्रदर्शनी अथवा सरकारी पोस्टर, होर्डींग, वाल पेपर, पुस्तिकाओं इत्यादि के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है । वे प्रशंसा करते हैं अथवा निन्दा करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वल्कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया जाता है कि उन्होंने प्रशंसा अथवा निन्दा क्यों की और यही बात महत्वपूर्ण होती है ।

इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि क्या दर्शक दी जाने वालों संदेशों को ग्रहण कर रहे हैं । इससे मीडिया निर्माताओं को विभन्न विषयों पर अपने साफ्टवेयर निर्माण करने में मदद मिलती है ।

सफलता/विकास की कहानीः- सफलता/विकास की कहानी संकलित करना एक रोचक कार्य है और यदि अधिकारी सतर्क है तो वह इसका संकलन बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकता है । ये कहानियां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उपलब्धियों पर आधारित होती है । जोर विभागीय सरकार की उपलब्धियों पर प्रयास के जरिए नहीं है, बल्कि जोर इस बात पर है कि आम आदमी सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं का इस्तेमाल करके अपने प्रचार से आत्मनिर्भरता प्राप्त करे । सफलता/विकास की कहानियों का चुनाव ऐसी हो जो दूसरों के लिए मॉडल के रूप में प्रदर्शित की जा सके ताकि वे उसका अनुमान करें । इस प्रकार की उपलब्धियों की कहानियां उन्नतिशील किसानों, छोटे काश्तकारों, एवं नियोजकों, शिल्पकारों, पंचायत तथा खण्ड विकास अधिकारियों, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं इत्यादि से प्राप्त होती हैं । एक तरफ ये कहानियां क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके सामूहिक चर्चा कार्यक्रमों में मदद करती है तो दूसरी तरफ सिस्टर मीडिया ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं । ये कहानियां लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को प्रोत्साहन देती है । इन कहानियों

को विभिन्न सरकारी पत्रिकाओं जैसे-योजना, कुरुक्षेत्र तथा दूसरे भीडिया जैसे आकाशवाणी, स्थानीय दूरदर्शन केन्द्र तथा पत्र सूचना कार्यालय के स्थानीय शाखा को भी भेजी जाती है ।

स्थिति रिपोर्टः- ये विशेष रिपोर्ट कहलाती है जिन्हें कभी कभी स्थिति असमान्य होने पर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को तैयार कर भेजनी पड़ती है । कभी-कभी अति मूल्य वृद्धि, आम आदमियों के उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में एकाएक गिरावट, समुदाय या वर्ग के बीच तनाव, असामान्य स्थिति अथवा अवैधानिक सामाजिक प्रथा जैसे छुआछूत, जातिवाद आदि जैसे स्थिति गंभीर मसला बन जाती है जिसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को भेजनी पड़ती है ।

फीड बैंक प्रक्रिया

फीड बैक प्रक्रिया मुख्यतः तीन स्तर पर आधारित है । फीड बैंक के तहत क्षेत्रीय संचारकों को जनता के साथ खास बात-चीत करना पड़ता है तथा बात-चीत के दौरान बयोवृद्धों, नेताओं तथा स्थानीय जनमत निर्माताओं से अच्छे विचार/मत एकत्रित किये जाता हैं तथा उसके वाद रिपोर्ट तैयार करके संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को भेजा जाते हैं । प्रादेशिक कार्यालय उसे अच्छी तरह देखकर तथा उसकी उपयुक्तता को समझकर काफी सावधानी एवं नियम से मुख्यालय को पाक्षिक या मासिक समेकित रिपोर्ट भेजता है । मुख्यालय स्तर पर रिपोर्ट का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है या ऐसा मुद्दा जिसकी तरफ केन्द्रीय मंत्रालय/संगठन का ध्यान आकर्षित करना है तो उसे मंत्रालय को भेजा जाता है । स्थानीय मुद्दों का सामाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है तथा इसके लिए स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्राधिकारियों को शामिल किया जाता है ।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में हम मासिक फीड बैक रिपोर्ट भेज रहे हैं । मासिक फीड बैक में प्रायः सरकार के कार्यक्रम एवं नीतियों तथा इसके क्रियान्वयन पर जनता की समझ एवं प्रतिक्रिया शामिल होती है । इसमें उनकी शिकायत, सुझाव तथा आम स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं की कहानियां भी शामिल होती है । जबकि हाल ही में शरू की गई पाक्षिक समाचार डाइजेस्ट में मुख्यतः स्थिति रिपोर्ट का उल्लेख होता है जिसमें

स्थानीय मुद्दों तथा समस्याओं और सरकारी हस्तक्षेप के लिए लोगों की आवाज को बुलन्द किया जाता है ।

12.7.2006 तक क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (मुख्यालय) में अधिकारियों की निर्देशिका

पद	नाम	कार्यालय
महानिदेशक	श्री डी. मुखोपाध्याय	26106316
महानिदेशक के निजी सचिव तथा व0 अधीक (प्रशासन तथा सतर्कता)	श्री आर.एस. भागर्व	26106316 (टेलीफैक्स)
निदेशक (कार्यक्रम)	श्री सोनम थरगे	26101432
निदेशक (प्रशा0एवं समन्वय)	श्री उबैदुर्रहमान	26105658
निजी सहायक	श्री अंसारी	26101465
उप निदेशक (प्रशा.)	श्रीमती के. मीरा रामन	26102842
उप निदेशक (कार्य.)	सुश्री मधु दलेला	26104475
प्रशासनिक अधिकारी	श्री एस. दयाल	26101465
हिन्दी अधिकारी	श्री विजय कुमार	26109069
सहायक मूल्यांकन अधिकारी		
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	श्री अनिल गौड़	26109066
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद	26109066
व0अधीक्षक (कार्य.)		
कार्यक्रम अनुभाग		
तकनीकी अधिकारी (आटो)	श्री विजय कौल	26100627
तकनीकी अधिकारी (ध्वानि)		
प्रशासनिक अधिकारी (बजट एवं लेखा)	श्री विजय सिंह नेगी	26100521
प्रशासनिक अधिकारी (रोकड़)	श्री एच.के.महतो	26100521
अधीक्षक (सतर्कता)		
डीलींग हैन्ड (आई.आई. एस)	श्री राकेश बहल	26109069
केयर टेकर	श्री सतीश भंडारी	26109069
टेक्नीकल स्टोर	श्री सुलतान सिंह	26109069

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अधिकारियों के वेतनमान

क्रम सं0	पद	वेतनमान
1.	महानिदेशक	रू0 22,400 - 24,500
2.	उप महानिदेशक	रू0 18,400 - 22,400
3.	निदेशकों	रू0 14,300 - 18,300
4.	संयुक्त निदेशकों	रू0 12,000 - 16,500
5.	उप निदेशकों	रू0 10,000 - 15,200
6.	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों	रू0 6500 - 10,500
7.	सहायक मूल्यांकन अधिकारी	रू0 6500 - 10,500
8.	तकनीकी अधिकारी	रू0 6500 - 10,500
9.	हिन्दी अधिकारी	रू0 6500 - 10,500
10.	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 6500 - 10,500
11.	वरिष्ठ अधिकारी	रू0 6500 - 10,500

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की वित्तीय व्यवस्था

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को योजना तथा गैर - योजना के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है । बजट से संबंधित विस्तृत व्योरा निम्नलिखित है ।

योजना

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए अनुमोदित 10 वीं योजना (2002 - 2007 के लिए आवंटित राशि रू0 11 करोड़ है जिसमें दो योजना क्रमशः (1) राजस्व - फिल्मों/ कैसटों का क्रय के लिए रू0 2.50 करोड़ अनुमोदित है जबकि (2) पूंजी - आधुनिकीकरण व पूंजी स्टाक का जिसमें बाहनों, वायरलेस पी.ए. सिस्टम, डाटा प्रोजेक्टरों, डीवीडी प्लेयरों, कंप्यूटरों आदि का क्रय के लिए रू0 8.50 करोड़ अनुमोदित है ।

यह दोनो योजना निदेशालय के आधुनिकीकरण तथा देश के नवीनतम विकास पर फिल्मों/ कैसेटों की आपूर्ति के लिए है । इन योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह से किया जाता है कि सभी प्रादेशिक कार्यालय नवीनतम उपकरणों से पूरी तरह से सुसज्जित हो । सभी प्रकार का क्रय मुख्यालय स्तर पर किया जाता है । तदोपरान्त क्रय किए गए उपकरण प्रादेशिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों को प्रयोग हेतु भेजे जाते हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान योजना स्कीम के तहत बजट का प्रावधान रु01.10 करोड़ है ।

गैर-योजना

चालू वर्ष, 2006 - 07 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत निदेशालय का गैर - योजना बजट 27.01 करोड़ है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बजट क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को प्रबंधन हेतु सौपा जाता है । इसी तरह क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (मुख्यालय) बजट को 22 प्रादेशिक कार्यालयों को उनके मांग के अनुसार बांट देता है ।

प्रादेशिक कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यरत क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के बजट पर नियंत्रण रखते हैं । निदेशालय को सुचारू एवं सही ढंग से चलाने के लिए प्रादेशिक प्रमुखों को सुग्राहित लेखा परीक्षा एवं वित्तीय प्रवंधन हेतु प्रशिक्षत किया जाता है ।

मुख्यालय स्थित निदेशालय सभी प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा इस्तेमाल की जा रही बजट पर निगरानी रखता है तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है । प्रादेशिक प्रमुखों को नियंत्रण अधिकारी के कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बार - बार हिदायत दी जाती है । बजट व्यवस्था को अच्छी तरह मांनिटर करने के लिए अनुदेशों को भी जारी किया जाता है ।

नियंत्रण अधिकारी को दी गयी धन की व्यवस्था के संबंध में उसके कार्य और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना होता हैः-

(i) कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो ।

(ii) कि जिस उद्देश्य के लिए व्यय किया जाता हैं उसके लिए धन का प्रावधान किया हुआ होता है ।

(iii) कि व्यय जन हित में किया जाता है

(iv) उपर्युक्त का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है ।

आंचलिक तथा प्रादेशिक स्तर के कार्यशालाओं के जरिए क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों को वित्तीय प्रवंधन के बारे में जानकारी दी जाती है । संबंधित एजेन्सियों से बुलाए गए विशेषज्ञों को इस विषय पर हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावित करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

प्रादेशिक कार्यालय संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के साथ अपने लेखा का समुचित रूप से समाधान करते है । इन लेखों का महालेखाकार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षण दल द्वारा जांच की जाती है ।

जनसूचना अधिकारियों तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों के पद

निदेशालय ने इस अधिनियम के तहत मुख्यालय स्तर पर दो अधिकारियों को तथा प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर 22 प्रादेशिक प्रमुखों को जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों के पद के रूप में नामित किया है । 12.7.2006 तक का ब्योंरा नीचे दिया जा रहा है ।

क्र.स.	प्रादेशिक कार्यालय	नाम तथा पदनाम सर्व श्री	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष आवास	जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी
1.	नई दिल्ली	सोनम थरगे निदेशक	26101432	24363740	जसूअ
2.	नई दिल्ली	उप निदेशक(प्रशा0)	26102842	25524157	सजसूअ
3.	हैदराबाद आंध्रप्रदेश	एम.वी.वी.एस.मूर्ती उप महानिदेशक	24657960 24736645(फैक्स)	040-27177141 9866062580	जसूअ
4.	न्यू ईटानगर अरुणांचल प्रदेश	एस. थ्यागराजन संयुक्त निदेशक,मदुरई	2212494(फैक्स)	0360-212469	जसूअ
5.	गुवाहाटी आसाम	बी. नरज़री उप महानिदेशक	0361-2529836 2452281(फैक्स)	0361-2548929	जसूअ
6.	पटना बिहार	शान्तनु पलोधी उप महानिदेशक	0612-2533927 2533964	9431815260	जसूअ
7.	रांची झारखंड	एस.एम.एन.रिजवी क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	0651-2500895	9431102592	सजसूअ
8.	अहमदाबाद गुजरात	वी.के.अब्दुल्ला संयुक्त निदेशक	079-26586309 26586430	25501931	जसूअ
9.	जम्मू जम्मू तथा कश्मीर	सुरिन्द्र कुमार संयुक्त निदेशक	0191-2438768	9419700043 2451748	जसूअ
10.	बंगलौर करनाटका	एम.एन.शंकर संयुक्त निदेशक	080-25538191 25527291(फैक्स)	25723975	जसूअ
11.	तिरूअनंतपुरम केरला	के.एन.श्रीनिवासन संयुक्त निदेशक	0471-2471483	2368497	जसूअ
12.	रायपुर छत्तीसगढ़	डी.चक्रवर्ती निदेशक	0771-2426840	033-24420766 9433025001	जसूअ
13.	भोपाल मध्य प्रदेश	आर.पी.सरोज संयुक्त निदेशक	0755-2553656	9425010254	जसूअ
14.	पुणे महाराष्ट्र	जे.आर.एम.पवार निदेशक	020-25655236	24464068 24441259	जसूअ
15.	शिलांग एम एम टी	श्री ओ.एल. मारबेनियांग क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	0364-2505286	9856002515	जसूअ
16.	कोहिमा एन.एण्ड एम	श्रीमती आसिखो लासा निदेशक	0370-2243650 2243089(फैक्स)		जसूअ
17.	चण्डीगढ़ नार्थ वेस्ट	श्री हेमन्त कुमार क्षे0प्र0अ0इन्चार्ज	011-26103421(फैक्स) 0171-2743161(फैक्स)	9868637923	जसूअ
18.	भुवनेश्वर उडिसा	श्रीमती निधी पाण्डे संयुक्त निदेशक	0674-2530235 2531143(फैक्स)	2546287	जसूअ
19.	जयपुर राजस्थान	श्रीमती प्रज्ञा पालिवाल संयुक्त निदेशक	0141-2360023 2379751	9414051285	जसूअ
20.	चेन्नई	एम.के.सन्थानम	044-28278463	24813291	जसूअ

	तमिलनाडू	निदेशक	28275072		
21.	लखनऊ उ.प.(म.पू.)	अरिमर्दन सिंह संयुक्त निदेशक	0522-2329354 2329355(फैक्स)	9415405911	जसूअ
22.	देहरादून उत्तरांचल तथा उ.प्र. (उ.प.)	एन.सी.जयाल क्षे0प्र0अ0 इन्चार्ज	0135-2626340	2678015	जसूअ
23.	सिलीगुड़ी प0बंगाल (उ0)	सी.के.दोरजी संयुक्त निदेशक, गंगटोक	0353-2436101 2521460	9434022602	जसूअ
24.	कोलकाता प.बंगाल (द0)	एस.के. मालवीय संयुक्त निदेशक	23219444(फैक्स) 23349341	9810638214	जसूअ

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के जन सूचना केन्द्र

देश भर में फैले निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां सरकार के सूचना केन्द्र के रुप में कार्य करेगी जिसके जरिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सूचना सामग्री जनता को उपलब्ध करायी जा सकती है ।

अपील प्राधिकारी

महानिदेशकः क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, पूर्वी खण्ड-4, तल-3, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 । दूरभाष सं0 26106316 (दूरभाष/फैक्स) । ई-मेल आई.डी. dfpnewdelhi@hotmail.com

----